पचपन–

संख्या :क0नि0–5–1431/11–2005–500(134)/2003

प्रेषक,

शेखर अग्रवाल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

कर एवं निबन्धन अनुभाग–5 लखनऊः दिनांकः 21 मार्च, 2005

विषयः– विधायक निधि के अन्तर्गत संस्थाओं को दिये जाने वाले कार्य के सम्बन्ध में निष्पादित अनुबन्ध विलेख पर स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संयुक्त सचिव, ग्राम्य विकास विभाग के अर्धशासकीय पत्र संख्या 837/ वि0नि0 / 38 –3 – 2003–500(58)/2003 दिनांक 09 सितम्बर, 2003 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि विधायक निधि के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था/न्यास को दिये जाने वाले कार्यों के विषय में संलग्न अनुबन्ध पत्र निष्पादित होने की स्थिति में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची एक–बी के अनुच्छेद–5(सी) के अन्तर्गत एक सौ रुपये का स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होगा। तदनुसार कृपया आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः अनुबन्ध पत्र की प्रति।

भवदीय,
ह0अस्पष्ट
(शेखर अग्रवाल),
प्रमुख सचिव।

संख्या :क0नि0–5–1431/11–2005–500(58)/2003, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि निम्न क्रमांक 4 व 5 पर अंकित अधिकारीगण को इस आदेश की प्रति कृपया उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
(2) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(4) समस्त अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि कृपया जनपद में प्रत्येक उपनिबन्धक को इस आदेश की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
(5) समस्त उप/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश।

संलग्नकः यथोपरि।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
(अरुण सिंह),
विशेष सचिव।

–:मसौदा समझौताः–

यह समझौता दिनांक.....को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की ओर से मुख्य विकास अधिकारी/अधिशासी निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, लखनऊ (जिन्हें आगे पहले भाग का प्रथम पक्ष/वितरण प्राधिकारी कहा गया है) तथा (सम्बन्धित पदधारक का नाम, पिता का नाम, पद)
श्री.....पुत्र.....निवासी.....
के बीच किया गया है (जिन्हें आगे दूसरे भाग का द्वितीय पक्ष/लाभार्थी संगठन कहा गया है)

क– जब प्रथम पक्ष जिला प्रशासन के जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के रूप में विधायकों द्वारा विधायक निधि योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर अनुशंसित विकासात्मक कार्यों को जिले/नगर निगम सीमा के अन्दर कार्यान्वित करवाने के लिए एकमात्र प्राधिकारी होता है।

ख– जबकि द्वितीय पक्ष (समिति/ट्रस्ट का नाम).....पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत सोसाइटी अथवा भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अन्तर्गत पंजीकृत न्यास के रूप में लगभग.....वर्ष से अधिक समय से सेवा/कल्याण गतिविधियों में लगा है तथा गैर लाभ अर्जित प्रचालन और अच्छी वित्तीय स्थिति के साथ समाज सेवा/कल्याण गतिविधियों के क्षेत्र में सुस्थापित और ख्याति प्राप्त है।

इसलिए अब दोनों पक्षों में इस समझौते पर सहमति हुई है और वे अपने आप को निम्नलिखित शर्तों से बाध्य मानते हैं:–

1. प्रथम पक्ष उपरोक्त विधायक निधि योजना के अन्तर्गत कार्यों के कार्यान्वयन हेतु विधायक निधि के दिशा निर्देशों के अनुसार विधायकों द्वारा की गई अनुशंसा पर निधियॉ वितरित करेगा।
2. द्वितीय पक्ष दिशा निर्देशों के अनुसार जनता के लाभार्थ जनता द्वारा प्रयोग के लिए विधायक निधि से सृजित परिसम्पत्ति (कार्य का नाम).....के रख रखाव करने के लिए पात्र होगा। उपर्युक्त वर्णित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए निर्मित किए जाने वाले भवन का रखरखाव एवं प्रबन्धन कार्य सार्वजनिक कार्यों हेतु समिति द्वारा ही देखा जायेगा।
3. एक कार्य (कार्य का नाम).....के निर्माण के लिए जिसकी लागत.....पर दोनों पक्षों ने आपसी सहमति जताई है, और जो विधायक निधि योजना के अन्तर्गत माननीय (नाम).....सदस्य विधान सभा/सदस्य विधान परिषद द्वारा विधिवत रूप से अनुशंसित किया गया है।
4. (कार्य का नाम).....के लिए प्रथम पक्ष को दी गयी भूमि तथा स्थायी समिति सभी तरह की बाधा से मुक्त है, शहरी भूमि (हदबन्दी तथा नियमन) अधिनियम 1976 से प्रभावित नहीं है। अभ्यर्पित भूमि की चौहदी निम्न प्रकार है :– (क्षेत्रफल सहित विवरण)
5. माननीय (नाम).....सदस्य विधान सभा/सदस्य विधान परिषद की निधि से निर्मित (कार्य का नाम).....आम जनता के लिए हमेशा उपलब्ध होगा तथा सार्वजनिक रहेगा।
6. विधायक निधि योजना से निर्मित (कार्य का नाम).....का स्वामित्व हर हाल में राज्य सरकार के पास निहित रहेगा।
7. द्वितीय पक्ष विधायक निधि योजना से निर्मित (कार्य का नाम).....को बिना राज्य सरकार के लिखित अनुमोदन के विक्रय/हस्तान्तरण अथवा उसके किसी हिस्से का निपटान नहीं करेगा।
8. द्वितीय पक्ष एतद्द्वारा निर्मित कराये जाने वाले (कार्य का नाम).....के रख रखाव एवं व्यवस्था का पूरा उत्तरदायित्व लेता है जिसका प्रथम पक्ष अथवा उसके किसी प्रतिनिधि/उसकी ओर से विधिवत प्राधिकृत नामित व्यक्ति द्वारा आद्यवधिक रूप से लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण किया जायेगा।
9. द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष को नियमित रूप से तथा वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिवस के अन्दर वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा परीक्षित लेखों को प्रस्तुत करेगा।
10. इस करारनामे में, जहॉ भी करारनामे में शामिल शर्तों के कार्य क्षेत्र तथा प्रभाव का पूर्ण व्याख्या की आवश्यकता होगी मुख्य विकास अधिकारी/अधिशासी निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, लखनऊ तथा (सोसाइटी/ट्रस्ट का नाम).....अपने उत्तरवर्ती अथवा अनुमत समनुदेशिती (समुनुदेशितों) को शामिल करेगा।

साक्षी के रूप में उपस्थित पक्षों द्वारा अपने विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा इस करारनामे को यह उपरोक्त लिखे गये दिनांक तथा वर्षों को कार्यान्वित किया गया है।

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के लिए तथा उसकी ओर से।

मुख्य विकास अधिकारी/अधिशासी निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, लखनऊ।
द्वारा हस्ताक्षर

करने का प्राधिकार

.....

निम्नलिखित साक्षी की उपस्थिति में
1. .....
पिता का

.....
2. .....

(.....)
लाभार्थी संगठन/द्वितीय पक्ष जिसे कार्यकारिणी बैठक के संकल्प दिनांक.....के द्वारा हस्ताक्षर करने तथा इस करारनामे को निष्पादित करने का प्राधिकार है, के लिए तथा उनकी ओर से श्री.....द्वारा निष्पादित।

निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में (नाम पिता का नाम व निवास का पता सहित)
1. .....